FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

सरकार जरिये तहसीलदार बेगूं बनाम प्रेम बाई

करम मुकदमा .... नं0 78/19 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01.07.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल. आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/ **NLRMP**/ एफ.126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो। [signature]	सोहनलाल नाथुलाल कन्हैयालाल मोहन भैरु रामेश्वर गोपाल है है
12.7.19	पत्रावली आज पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व सभी पक्षकार उपस्थित। सभी पक्षकारो ने अपनी जमाबंदी में हिस्से नही होने से बताया कि उनके सभी सह-खातेदारो ने आपसी सहमति से हिस्से बताये जो निम्न है। ग्राम बोराड़ी [illegible] ख. 399, 400, 404, 405, 406, 407, 408 किता 7 रकबा 0.45 हे० भूमि में प्रेमबाई पिता गोपी का हिस्सा 1/16 कालु का हिस्सा 1/16 राजु का हिस्सा 1/16 पिता	नि. प्रेमबाई नि. रामीबाई नि. कमली

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

कार्यालय तह
क्रमांक: भू.अ./2019/
प्रेषित

दोला बापु पुत्री रामचन्द्र का हिस्सा 1/16 नाथु का हिस्सा 1/80 ओंकार का हिस्सा 1/80 मोत्या का हिस्सा 1/80 बाबू का हिस्सा 1/80 पिता देवी सत्यनारायण का हिस्सा 1/40 लाभचन्द का हिस्सा 1/40 पिता प्रेमचन्द चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20 रतना का हिस्सा 1/120 मोहन का हिस्सा 1/120 कमला का हिस्सा 1/120 सुकमनी का हिस्सा 1/120 मूली का हिस्सा 1/120 पिता भूरा जड़ाई बेवा भूरा का हिस्सा 1/120 गोपाल का हिस्सा 1/60 शोभालाल का हिस्सा 1/60 पिता बालु दामी बेवा बालु का हिस्सा 1/60 देविकिशन पिता चुन्नीलाल का हिस्सा 1/4 रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/12 सुकमाबाई का हिस्सा 1/12 पिता कन्हैयालाल हीरीबाई पत्नी कन्हैयालाल का हिस्सा 1/12 लोगा कायदे खातेदार। इनके यह हिस्से व खातेदारों द्वारा बताये गये हिस्से मजमे आम में रखा गया जिसमें उन्होंने भी इसी हिस्से पर सहमति प्रकट की गई।

अतः सह खातेदारों की सहमति व तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व DILRMP के तहत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश/परिपत्र/क्रमांक/BR/LR/NLRMP F-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.9.2017 के अनुसार इनके पूर्व वर्णित हिस्सों के अनुसार खातेदारी घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय आज्ञा से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

12.7.19

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 78/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

.......................वादी

बनाम

1. प्रेमबाई पिता गोपी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
2. कालु पिता दोला निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
3. राजु पिता दोला निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
4. धापु पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
5. नाथू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
6. सोसर पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
7. मोत्या पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
8. गट्टू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
9. सत्यनारायण पिता प्यारचंद दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
10. लाभचन्द पिता प्यारचंद दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
11. चुन्नीलाल पिता गोविन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
12. रतना पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
13. मोहन पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
14. कमली पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
15. रूकमणी पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
16. भूली पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
17. जडाई बेवा भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
18. गोपाल पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
19. शोभालाल पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
20. रामी बेवा बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
21. देवकिशन पिता चुन्नीलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
22. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
23. रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
24. हीरी बाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
25. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
26. रूकमा बाई पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
27. हीरी बाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ

................प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1 से 27

निर्णय दिनांक : 12.07.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

कोर्ट जयनगर पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 12.07.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित आये।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 1226 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम बानोडा में खाता संख्या 96 संवत 2071–74 में दर्ज आराजी नं. 399, 400, 404, 405, 406, 407, 408, किता 7 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि श्री प्रेमबाई पिता गोपी कालू राजू पिता दोला वगैरह जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नही है। अतः वादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली को दिनांक 12.7.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर रखाया गया। सभी पक्षकारान उपस्थित आए। पक्षकारो को सुना गया। प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा ग्राम बानोडा में वाद वर्णित आराजी किता 7 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि उनकी सामलाती पैतृक भूमि है एवं चम्पालाल जी के वारिसान चार पुत्रो गोविन्द, दौला, रतना, चंदन पिता चम्पालाल के नाम से दर्ज हुई है। जिसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। गोविन्द, दोला, रतना व चंदन फोत होने से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए है। कमली बेवा उंकार द्वारा स्वयं का निहित हिस्सा का बेचान जो 1/4 है को देवकिशन पिता चुन्नीलाल दारोगा को बेचान किया है। कोर्ट केम्प में सजरा बनाया गया । बनाये सजरे में पक्षकारों के बताये मुताबिक हिस्से दर्ज किये गयें। सजरे में दर्ज हिस्से की घोषणा किये जाने हेतु सभी पक्षकारान सहमत हुये हैं।

रिकोर्ड का अवलोक़न किया गया। सेटलमेन्ट रिकोर्ड में वाद वर्णित आराजी किता 50 रकबा 7.60 हैक्टर श्री गोविन्द, दोला, रतना पिता चम्पा, नंदा काना पिता चंदन दरोगा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। विरासत से नामान्तरण सं. 11 से दोला के बजाय गोपी कालू रामचंद्र राजू पिता दोला, नामा.सं. 12 से रतना के बजाय उँकार पिता रतना, ना.सं. 361 से गोविन्द के बजाय देवी मोडा चुन्नीलाल भूरा बालू पिता गोविंन्द, ना.सं. 206 से नंदा के बजाय भेरू काली पिता नंदा राधा पत्नि नंदा , नामा.सं. 170 से देवी के बजाय नाथू पिता देवी, सोसर मोत्या गट्टू पिता देवी नन्दु पत्नी देवी मोडा के बजाया सोहनी पिता मोडा भुरा के बजाय रतना मोहन पिता भुरा कमली रूकमणी मुली पिता भुरा जडाई बवा भुरा बालु के बजाय गोपाल सेाहन पिता बालु कंचनी पिता बालु रामी पत्नी बालु गोपी के बजाय गीता प्रेम पिता गोपी मोडी बाई पत्नी गोपी रामचन्द्र के बजाय धापु पिता रामचन्द्र उंकार के बजाय कमली पत्नी उंकार नामा0 सं0 272 से सोहनी पिता मोडा के बजाय सत्यनारायण लाभचन्द पिता प्यारचंद, नामा0 सं0 668 काना पिता चन्दन के बजाय रामेश्वरलाल रूकमा बाई पिता कन्हैयालाल हीरी बाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल नामा0 सं0 308 विकय से कमली पत्नी उंकार के बजाय देवकिशन पिता चुन्नीलाल दर्ज हुआ है। मजमेआम में सजरा अनुसार खातेदारों के हिस्से की जानकारी की गयी। जिससे यह जाहिर आया की वाद वर्णित आराजी किता 7 रकबा 0.4500 हे0 सामलाती आराजी है। देवकिशन पिता चुन्नीलाल द्वारा कमली पत्नी उंकार का हिस्सा कय करने से खाते में कमली बाई पत्नी उंकार का नाम नही आया है। उक्त

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

आराजी चम्पालाल जी की होकर उनके चार पुत्रों गोविन्द दोला रतना चन्दन पिता चम्पा के नाम दर्ज हुये है। जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4 बनता है जो सही है। कमली बाई पत्नी उंकार का निहित हिस्सा जो 1/4 बनता है का बेचान देवकिशन पिता चुन्नीलाल दरोगा को किया गया है। अतः मजमे आज में प्राप्त जानकारी व पक्षकारो की सहमति से मौजा बानोडा की आराजी आराजी नं. 399, 400, 404, 405, 406, 407, 408, किता–7 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि में हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा की आराजी नं. 399, 400, 404, 405, 406, 407, 408, किता 7 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि में नामा0 सं0 343 से भेरू काली पिता नन्दा राधा पति नन्दा का 1/8 हिस्सा का विक्रय रामेश्वरलाल रूकमा बाई पिता कन्हैयालाल हीरी बाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल को किया गया है। प्रेमबाई पिता गोपी का हिस्सा 1/16 कालू का हिस्सा 1/16 राजू का हिस्सा 1/16 पिता दोला , धापु पुत्री रामचन्द्र का हिस्सा 1/16, नाथु पिता देवी का हिस्सा 1/80, सोसर का हिस्सा 1/80, मोत्या का हिस्सा 1/80, गट्टू का हिस्सा 1/80 पुत्री देवी, सत्यनारायण का हिस्सा 1/40 लाभचन्द्र का हिस्सा 1/40 पिता प्यारचन्द, चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20 रतना का हिस्सा 1/120 मोहन का हिस्सा 1/120 कमली का हिस्सा 1/120 रूकमणी का हिस्सा 1/120 भूली का हिस्सा 1/120 पिता भुरा, जडाई बेवा भुरा का हिस्सा 1/120, गोपाल का हिस्सा 1/60, शोभालाल का हिस्सा 1/60 पिता बालु, रामी बेवा बालु का हिस्सा 1/60, देवकिशन पिता चुन्नीलाल का हिस्सा 1/4, रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/12 रूकमाबाई का हिस्सा 1/12 पिता कन्हैयालाल, हीरी बाई पत्नी कन्हैयालाल का हिस्सा 1/12 दरोगा साकिन देह खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

12.7.19

(रमेश सीरवी मालडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड)अधिकारी)
बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

-----लगातार

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 78/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

........................वादी

बनाम

1. प्रेमबाई पिता गोपी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
2. कालु पिता दोला निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
3. राजु पिता दोला निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
4. धापु पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
5. नाथू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
6. सोसर पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
7. मोत्या पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
8. गट्टू पिता देवी दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
9. सत्यनारायण पिता प्यारचंद दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
10. लाभचन्द पिता प्यारचंद दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
11. चुन्नीलाल पिता गोविन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
12. रतना पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
13. मोहन पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
14. कमली पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
15. रूकमणी पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
16. भूली पिता भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
17. जडाई बेवा भुरा दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
18. गोपाल पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
19. शोभालाल पिता बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
20. रामी बेवा बालु दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
21. देवकिशन पिता चुन्नीलाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
22. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
23. रूकमाबाई पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
24. हीरी बाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
25. रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
26. रूकमा बाई पिता कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
27. हीरी बाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ

................प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 12.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प जयनगर पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा की आराजी नं. 399, 400, 404, 405, 406, 407, 408, किता 7 रकबा 0.4500 हैक्टर भूमि में नामा0 सं0 343 से भेरू काली पिता नन्दा राधा पति नन्दा का 1/8 हिस्सा का विक्रय रामेश्वरलाल रूकमा बाई पिता कन्हैयालाल हीरी बाई

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ)

Scanned by CamScanner

पत्नी स्व0 कन्हैयालाल को किया गया है। प्रेमबाई पिता गोपी का हिस्सा 1/16 कालू का हिस्सा 1/16 राजू का हिस्सा 1/16 पिता दोला , धापु पुत्री रामचन्द्र का हिस्सा 1/16, नाथु पिता देवी का हिस्सा 1/80, सोसार का हिस्सा 1/80, मोत्या का हिस्सा 1/80, गट्टू का हिस्सा 1/80 पुत्री देवी, सत्यनारायण का हिस्सा 1/40 लाभचन्द्र का हिस्सा 1/40 पिता प्यारचन्द, चुन्नीलाल पिता गोविन्द का हिस्सा 1/20 रतना का हिस्सा 1/120 मोहन का हिस्सा 1/120 कमली कां हिस्सा 1/120 रूकमणी का हिस्सा 1/120 भूली का हिस्सा 1/120 पिता भुरा, जडाई बेवा भुरा का हिस्सा 1/120, गोपाल का हिस्सा 1/60, शोभालाल का हिस्सा 1/60 पिता बालु, रामी बेवा बालु का हिस्सा 1/60, देवकिशन पिता चुन्नीलाल का हिस्सा 1/4, रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/12 रूकमाबाई का हिस्सा 1/12 पिता कन्हैयालाल, हीरी बाई पत्नी कन्हैयालाल का हिस्सा 1/12 दरोगा साकिन देह खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड मे हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

12.7.19

(रमेश [illegible] पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

-----लगातार

Scanned by CamScanner